न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 86/2017

रामधन मीणा निवासी बी–17 पार्श्वनाथ कॉलोनी–बी डी.सी.एम अजमेर रोड जयपुर राज0
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक
–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 04.01.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 11.10.2017 प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र को लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1–एक पटवारी उक्त पत्रांक के आधार पर कितने दिनो मे जमीन का सीमाकंन करने हेतु बाध्य है। राज0लोक सेवाओ के प्रधान की गांरटी नियम 2011 के अनुसार।

2–क्या इस सीमाकंन मे किसी को उज्र है तो उज्रकर्ता द्वारा बयानार्थ शपथ पत्र की फोटो प्रतिलिपि प्रदान करने की कृपा करे।

3–क्या उक्त पैसे जो पत्रांक मे जमा करा दिये है उसके अलावा भी पटवारी एंव गिरदावर को देना नियत है।

4–क्या पटवारी मौखिक रूप से ऐसा बहाना बना सकता/सकती है कि मुझे गिरदावर कहेगे वैसे करूंगा।

5–अगर उक्त सीमाकंन को प्रार्थी पुनः इसी हर्जे–खर्चे मे कराने के लिए योग्य है कि नही कोई प्रावधान हो तो उसकी प्रतिलिपि संलग्न करने की कृपा करे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 2024 दिनांक 12.12.2017 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 7857 दिनांक 26.12.2017 से जवाब प्रेषित किया है। जवाब के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट द्वारा चाही गई बिन्दू संख्या 1 की सूचना राज0 लोक सेवाओ के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत तथा 2 व 5 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नही करवाई गई है। आवेदन पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि बिन्दू संख्या 3 व 4 कि सूचना अधिनियमानुसार देय नही हैं।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट आशिंक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
राजस्थान